न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 88 / 2019

सरकार वनाम 1. सांवलराम, देवाराम, गुलाबाराम वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः–.24 .12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम **सिणली चौसिरा** के मूल खसरा नं 158 है । जिसकी वर्तमान जमावंदी अनुसार स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कम स. 4, 7 से 16, 18, 21 से 32 की तरमीम की हुई है। भू. अ. नि. व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ख0न0 159 को निरस्त करते हुए परिशिष्ट 'अ' की कम स. 1,2,3,5,6,17,19,20 के खसरो की तरमीम परिशिष्ट ब मे हरी स्याही अनुसार प्रस्तावित है।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रेकर्ड में हुई किसी अशुद्दि को शुद्व करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .24.12.2019 को सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा.
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner